जेपीआर 5–723

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302008
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – c_comml@yahoo.com

क0 जेपीडी/अ.अ.(वा.)/सी–I/एफ.4(236)पार्ट–II/प्रे0 07. जयपुर, दिनांक–03.04.2014.

आदेश

विषय – ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के लिए 4 माह के बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत्।

राज्य सरकार ने इस वर्ष ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु दिनांक 28.02.2014 को निम्न सहायता पैकेज घोषित किया है। इस संबधमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:–

(1) लघु एवं सीमान्त कृषकों को, जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, उनके चार बिलिंग माह नवम्बर 2013, दिसम्बर 2013, जनवरी 2014 एवं फरवरी 2014 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी।

(2) जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवा दी है, इस राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।

(3) यह राहत पैकेज सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बाटेदारी से फसल की है।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराऐंगे। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा 4 माह के बिलो की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाएगी।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (ATR) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को प्रषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी (ATR) इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

आज्ञा से

(पी.के. मित्तल)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

D/joshi/JPR-